

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)  
(RAILWAY BOARD)**

\*\*\*\*\*

No. 2007/TG-V/21/ 53

New Delhi Dt. 21/04.2015.

**The Chief Commercial Managers,  
All Zonal Railways.  
(Except Southern Railway).**


**(Commercial Circular No. 24 of 2015)**

**Sub: Strengthening of Central Ticket Checking Squad of Railway Board.**

\*\*\*\*

Please refer to this office letter of even No. dated 01.09.2010 (CC No. 42 of 2014) on the subject quoted above wherein eligibility criteria for Ticket Checking Staff to work in CTC Squad was advised. In supersession of the instructions contained in the letter dated 01.09.2010 referred to above, it has been decided that the eligibility criteria for ticket Checking Staff to work in CTC Squad will now be as under:-

- i. Should be in the grade pay of Rs. 4200/- or above and should have worked for minimum period of three years in the ticket checking cadre in the grade pay of Rs. 4200/- (VIth CPC);
- ii. Should be upto or below the age of 57 years on the date of notification.
- iii. Should be clear from SPE, Vigilance and D&AR angle during the last 5 years;
- iv. Must be courteous in his behavior but firm and tactful in dealing with passengers;
- v. Should have an aptitude and flair for conducting checks regarding on-board services;
- vi. Should have fairly good knowledge of rules and instructions issued from time to time and its application;
- vii. Should have an ability to draft and submit brief reports;
- viii. Should not have worked in the CTC Squad of Railway Board in the past.
- ix. There will generally be a ceiling limit of maximum of five ticket checking staff from one Zonal Railway, working in CTC squad at a time.
- x. The ticket checking staff while working in the squad will draw Special Allowances as stipulated in Board's letter No E(P&A)1-2009/SP-1/Genl-1 date 13.12.2012 (RBE No.143/2012) (copy enclosed).
- xi. Application of eligible candidates, whenever called for, will be accepted only if forwarded by Chief Commercial Manager of Zonal Railway concerned.

  
**(Vikram Singh)  
Director Passenger Marketing  
Railway Board**

**Copy to:**

1. Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
2. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
3. The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
4. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
5. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
6. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
7. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
8. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
9. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
10. Secy. Gen., All India SC/ST Railway Employee Association.
11. Secy. Gen., All India OBC Railway Employees Association.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

\*\*\*\*\*

सं. 2007/टीजी-V/21/53

नई दिल्ली, दिनांक 21.04.2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें।  
(दक्षिण रेलवे को छोड़कर)

(2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 24)

**विषय: रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते को सुदृढ़ करना।**

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 01.09.2010 के समसंख्यक पत्र (2014 का वाणिज्य परिपत्र सं. 42) का अवलोकन करें, जिसमें केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते में कार्य करने के लिए टिकट जांच कर्मचारी के लिए पात्रता के मानदंड सूचित किए गए थे। दिनांक 01.09.2010 के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में निहित अनुदेशों के अधिक्रमण में, यह विनिश्चय किया गया है कि अब केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते में कार्य करने के लिए टिकट जांच कर्मचारी के लिए पात्रता के मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

- i. कर्मचारी 4200/- रुपये अथवा इससे अधिक के ग्रेड पे का हो और उसने 4200/- रुपये के ग्रेड पे (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग) में टिकट जांच संवर्ग में कम से कम तीन वर्ष का कार्य किया हो।
- ii. कर्मचारी अधिसूचना की तारीख को 57 वर्ष का हो अथवा इससे कम आयु का हो।
- iii. कर्मचारी पिछले 5 वर्षों के दौरान एसपीई, सतर्कता एवं डीएंडएआर के दृष्टिकोण से निर्दोष होना चाहिए;
- iv. कर्मचारी का स्वभाव विनम्र होना चाहिए परन्तु यात्रियों के साथ व्यवहार करते समय निश्चल एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए।
- v. चलती गाड़ी में जांच करने की योग्यता एवं सूक्ष्मदर्शिता होनी चाहिए।
- vi. समय-समय पर जारी किए गए नियमों और अनुदेशों तथा उनके उपयोग की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।
- vii. संक्षिप्त रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने की योग्यता होनी चाहिए;
- viii. विगत में रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते में कार्य नहीं किया होना चाहिए।

- ix. सामान्यतः केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते में एक क्षेत्रीय रेलवे से अधिकतम पांच टिकट जांच कर्मचारी ही होंगे।
- x. दस्ते में कार्य करते समय टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा बोर्ड के दिनांक 13.12.2012 के पत्र सं. ई(पीएंडए)-2009/एसपी-1/जन.1 (आरबीई सं. 143/2012) (प्रतिलिपि संलग्न) में यथा निर्धारित विशेष भत्ते प्राप्त किए जाएंगे।
- xi. जब कभी पात्र उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तो ये संबंधित क्षेत्रीय रेलों के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक द्वारा अग्रेषित किए जाने पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

  
(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन  
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 2) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 3) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- 4) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011
- 5) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 6) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
- 7) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 8) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 9) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन।